

वित्त मंत्रालय
मांग संख्या 35
अप्रत्यक्ष कर

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
कुल	5611.23	191.20	5802.43	5861.94	228.07	6090.01	7458.86	391.64	7850.50	7418.50	407.00	7825.50	
<i>वसूलियां</i>	-1.35	...	-1.35	-0.50	...	-0.50	-0.50	...	-0.50	-0.50	...	-0.50	
<i>प्राप्तियां</i>	
निवल	5609.88	191.20	5801.08	5861.44	228.07	6089.51	7458.36	391.64	7850.00	7418.00	407.00	7825.00	
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
1. सीमा शुल्क													
1.01	सीमा शुल्क का संग्रहण	1548.41	...	1548.41	1630.28	...	1630.28	1880.28	...	1880.28	2047.00	...	2047.00
1.02	सीमा शुल्क का स्थापना खर्च	...	69.08	69.08	...	70.00	70.00	...	70.00	70.00	...	105.00	105.00
<i>जोड़- सीमा शुल्क</i>		<i>1548.41</i>	<i>69.08</i>	<i>1617.49</i>	<i>1630.28</i>	<i>70.00</i>	<i>1700.28</i>	<i>1880.28</i>	<i>70.00</i>	<i>1950.28</i>	<i>2047.00</i>	<i>105.00</i>	<i>2152.00</i>
2. केंद्रीय उत्पाद शुल्क													
2.01	केंद्रीय उत्पाद शुल्क का संग्रहण	3325.41	...	3325.41	3149.16	...	3149.16	4019.94	...	4019.94	3909.95	...	3909.95
2.02	उत्पाद शुल्क का स्थापना खर्च	731.64	...	731.64	1071.00	...	1071.00	1546.74	...	1546.74	1448.05	...	1448.05
2.03	आवास - देख-रेख और मरम्मत	5.77	...	5.77	11.00	...	11.00	11.40	...	11.40	13.00	...	13.00
2.04	बने बनाए मकानों की खरीद-कार्यालय भवन	...	81.02	81.02	...	128.07	128.07	...	128.07	128.07	...	181.00	181.00
2.05	बने बनाए मकानों की खरीद-आवासीय भवन	...	41.10	41.10	...	30.00	30.00	...	193.57	193.57	...	121.00	121.00
<i>जोड़- केंद्रीय उत्पाद शुल्क</i>		<i>4062.82</i>	<i>122.12</i>	<i>4184.94</i>	<i>4231.16</i>	<i>158.07</i>	<i>4389.23</i>	<i>5578.08</i>	<i>321.64</i>	<i>5899.72</i>	<i>5371.00</i>	<i>302.00</i>	<i>5673.00</i>
3. वास्तविक वसूलियां													
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय		5609.88	191.20	5801.08	5861.44	228.07	6089.51	7458.36	391.64	7850.00	7418.00	407.00	7825.00
कुल जोड़		5609.88	191.20	5801.08	5861.44	228.07	6089.51	7458.36	391.64	7850.00	7418.00	407.00	7825.00
ख. योजना परिव्यय													
सामान्य सेवाएं													
1. सीमा शुल्क													
		1548.33	...	1548.33	1630.28	...	1630.28	1880.28	...	1880.28	2047.00	...	2047.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	4055.78	...	4055.78	4220.16	...	4220.16	5566.68	...	5566.68	5358.00	...	5358.00
3. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	69.08	69.08	...	70.00	70.00	...	70.00	70.00	...	105.00	105.00
4. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	...	81.02	81.02	...	128.07	128.07	...	128.07	128.07	...	181.00	181.00
जोड़-सामान्य सेवाएं	5604.11	150.10	5754.21	5850.44	198.07	6048.51	7446.96	198.07	7645.03	7405.00	286.00	7691.00
सामाजिक सेवाएं												
5. आवास	5.77	...	5.77	11.00	...	11.00	11.40	...	11.40	13.00	...	13.00
6. आवास पर पूंजी परिव्यय	...	41.10	41.10	...	30.00	30.00	...	193.57	193.57	...	121.00	121.00
जोड़-सामाजिक सेवाएं	5.77	41.10	46.87	11.00	30.00	41.00	11.40	193.57	204.97	13.00	121.00	134.00
कुल जोड़	5609.88	191.20	5801.08	5861.44	228.07	6089.51	7458.36	391.64	7850.00	7418.00	407.00	7825.00

1.01. **सीमा शुल्क का संग्रहण:** इसमें स्थापना और कस्टम्स विंग के अन्य व्यय, सीमा शुल्क कल्याण कोष में अंतरण और अन्य विभाग को भुगतान से संबंधित प्रावधान आते हैं।

1.02. **सीमा शुल्क का स्थापना खर्च:** तस्करी अवरोधी उपकरणों, कंटेनर स्केनर्स, मेरीन फ्लीट की खरीद और एक्सबीआईएस आदि की अधिप्राप्ति पर आने वाले खर्च को पूरा करने के लिए एक प्रावधान किया गया है।

2.01. **केंद्रीय उत्पाद शुल्क का संग्रहण:** यह प्रावधान वस्तु और सेवा कर संगठन (सी बी ई सी) की स्थापना खर्च, जिसमें वस्तु और सेवा कर (केंद्रीय उत्पाद शुल्क) की वसूली पर आने वाले अन्य खर्च भी शामिल हैं, को पूरा करने के लिए लिया गया है।

2.02. **उत्पाद शुल्क का स्थापना खर्च:** यह प्रावधान मुख्य रूप से निश्पादन प्रबंधन, लेखा-परीक्षा प्रणाली एवं डाटा प्रबंधन, नासिन, सतर्कता प्रचार एवं जनसंपर्क निदेशालय, करदाता सेवा निदेशालय, वस्त्र एवं सेवा कर निदेशालय, वस्त्र एवं सेवा कर आसूचना निदेशालय, सेटलमेंट कमीशन और अन्य खर्च के लिए किया गया है।

2.03. **आवास - देख-रेख और मरम्मत:** यह प्रावधान विभाग के अंतर्गत विभाग के स्वामित्व आने वाले आवासीय भवनों की देख रेख और मरम्मत के लिए है।

2.04. **बने बनाए मकानों की खरीद-कार्यालय भवन:** इसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड से संबंधित बने बनाए कार्यालय भवन और भूमि की खरीद के लिए तथा कार्यालय भवनों के निर्माण आदि से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

2.05. **बने बनाए मकानों की खरीद-आवासीय भवन:** इसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के लिए बने बनाए आवासीय भवनों और भूमि की खरीद तथा आवासीय मकानों के निर्माण आदि से संबंधित प्रावधान आते हैं।